न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

S1./2020

तारीखरजू:- 14-7-2020

उनवानः- रूरू बनाम जगदीश वगै0

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212

फर्द अहकाम	
प्रार्थी की और से अधिवक्ता श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा एडवोकेट हाजिर प्रार्थी अधिवक्ता के इस अनुरोध पर कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है तथा प्रार्थी के पक्ष मे अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नही किये जाने पर वाद व प्रार्थना पत्र का उद्देश्य ही असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के बिन्दू पर वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण प्रश्नगत भूमि मे सायलान को प्रार्थी के पक्ष मे अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की जावे। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुए ग्राम खानपुर तहसील टोडाभीम जिला करौली की विवादग्रस्त आराजी ख0न0 328 रकवा 0.43, ख0न0 331 रकवा 0.47 है0 कुल किता 2 कुल रकवा 0.90 है0 मे अप्रार्थीगण प्रार्थी के हिस्से की आराजी पर कब्जेकाश्त मे मजाहमत मदाखलत नही करने हेतु आगामी सुनवाई दिनांक 10.08.2020 तक पाबन्द किया जाता है।	
प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है। कि अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल को सामान्य व साधारण प्रकिया के साथ-साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतियां रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करे। तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र तथा रसीद प्रस्तुत भी करे। तथा वहस हेतु तैयार नही होने पर आगामी सुनवाई को अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः निष्प्रभावी मानी जावेगी। प्रकरण को स्वच्छ हाथो से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियो के तहत यह अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है। कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामिल की उपर्युक्तानुसार ठोस कार्यवाही कर इस न्यायालय को प्रमाण पेश करे। तथा आदेश 39 नियम (3) (क) के प्रावधानो की पालना सुनिश्चित करे। अन्यथा अंतरिम आदेश को आईन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अंतर्निहित शक्तियो का प्रयोग करेगा। जिन परिस्थितियो मे यह अंतरिम निषेधाज्ञा पारित की गई है मे परिवर्तन की दशा मे संशोधित/वैकेट कर दी जावेगी। अप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 10.08.2020 को पेश हो।	2553-54 14-7-2020
उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली	
10.8.20 प्रार्थी वकील उपस्थित। अप्रार्थी उपस्थित। श्री लखन लाल मीना Adv. ने वकालतनामा पेश किया। जवाब पेश करने दिनांक 7.9.20 को पेश हो।	जगदीश सुखराम

— रूक V/s जगदीश

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला क

मु.न. 31/20

दिनांक	फर्द अहकाम
7-9-20	लोकडाउन के कारण जनरल पेशी से पेश हुई। वकुलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी डीईपीसी पचोर है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक 5-10-20 को पेश हो।
5.10.20	~~वादी वकील~~/वकील उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी करौली प्रभार है पत्रावली गतानुसार दिनांक 9.11.20 को पेश हो।
9.11.2020	~~वादी वकील~~/वकील उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी गूर्जर आंदोलन में ड्यूटी है पत्रावली गतानुसार दिनांक 16.12.2020 को पेश हो।
16.12.20	~~वादी वकील~~/वकील उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी चुनाव कार्य में व्यस्त है पत्रावली गतानुसार दिनांक 29.1.21 को पेश हो।
29.1.21	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित नहीं। कई बार रुक-रुक कर आवाज दिलवाई गई। फिर भी प्रार्थी वकील एवं प्रार्थी में से कोई भी उपस्थित नहीं है अतः यह प्रार्थना-पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अदम हाजिरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर दावा पत्रावली के साथ संलग्न रहे।

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम
जिला-करौली